न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 90/2016

अपीलांट

आत्माराम पुत्र श्रीराम जाति साद (वैष्णव) निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

विद्वान अभिभाषक श्री भंवरलाल सोंलकी अपीलांट की ओर से।
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 5/3/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सरदारगढ पटवार क्षेत्र सामतीपुरा, तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 593 रकबा 1.95 हैक्टेर किस्म गैर मुमकिन के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है तथा पिछडी जाति का सदस्य एवं भूमिहीन काश्तकार है। राजस्थान सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिक के लिये राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत 1983 में भूमि का आवंटन 10 हैक्टेर तक करने का प्रावधान है। अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार जालोर को दिनांक 25.03.1998 को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर अपीलांट द्वारा जिला सैनिक बोर्ड पाली को प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.1994 को प्रेषित कर आवंटन हेतु प्रार्थना की एवं उपखंड अधिकारी जालोर ने दिनांक 23.02.199 को प्रार्थना पत्र देने पर आवंटन सैक्शन में प्रार्थना पत्र

प्रेषित कर उचित कार्यवाही हेतु भेजा, जिस पर लम्बे समय तक आवंटन नहीं होने पर पुन अपीलांट द्वारा दिनांक 07.06.2002 को उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त की है अत उक्त आराजी का नियमन की जावे, जिस पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो पाई। उसके पश्चात अपीलांट ने पुनः सैनिक कल्याण बोर्ड पाली जाकर प्रार्थना पत्र कर भूमि आवंटन व नियमन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र का उपखंड अधिकारी जालोर को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किया गया, जिसके आधार पर तहसीलदार जालोर को कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक से दिनांक 19.09.2013 को मौका रिपोर्ट तलब फरमाई गई। उक्त रिपोर्ट पर अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त व पक्का कमरा व रहवास होना बताया गया। तत्पश्चात अपीलांट के हक में आवंटन व नियमन नहीं किये जाने पर अपीलांट पुन जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पाली जाकर प्रार्थना पत्र प्रेषित करने पर उक्त प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर जालोर को दिनांक 13.01.2014 को प्रेषित किया गया, जिस पर जिला कलक्टर जालोर ने जनसुनवाई में दिनांक 03.02.2014 यह निस्तारण किया कि राज्य सरकार के परिपत्र स.याप.6/7/रा./4–77 दिनांक 11.02.2008 के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2000 के पूर्व कब्जा होने पर नियमन की तारीफ में आता है। अपीलांट का कब्जा काश्त राजस्व रेकर्ड में सन 197–98 से निरन्तर लगातार हर आम व खास की जानकारी में व अपीलांट को कभी भी बेदखल नहीं किया जावे। कब्जा होने से अपीलांट भूमि नियमन करवाने का अधिकारी है। जो उक्त आराजी अपीलांट के हक में नियमन की जावे एवं राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है तथा पिछडी जाति का सदस्य है तथा भूमिहीन काश्तकार है। अपीलांट पर प्रतिवर्ष 91 एल आर एक्ट के तहत मुकदमे भी बन रहे है एवं जुर्माना भी जमा करवा रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी को समतल करने मे काफी खर्चा किया है अंदर हरे हरे वृक्ष लगवाये है। अपीलांट मकान बनाकर रहवास भी है। इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रेकर्ड में लगातार कब्जा काश्त 1997–98 से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प कोर्ट में बिना अपीलांट की सहमति से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड करते हुए वादग्रस्त आराजी नियमन किये जाने का आदेश पारित करावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सरदारगढ पटवार क्षेत्र सामतीपुरा, तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 593 रकबा 1.95 हैक्टेर किस्म गैर मुमकिन के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय खाते में दर्ज है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन होने के आधार पर खातेदारी घोषित किये जाने का निवेदन किया एवं कानूनन एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सरदारगढ पटवार क्षेत्र सामतीपुरा, तहसील व जिला जालोर के खसरा नंबर 593 रकबा 1.95 हैक्टेर किस्म गैर मुमकिन के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है। अपीलांट ने उक्त कथन के संबध में भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र एवं फौजी नौकरी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिससे यह प्रमाणित तथ्य है कि अपीलांट भूतपूर्व सैनिक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नायब तहसीलदार जालोर द्वारा अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिये गये नोटिस की प्रतियां संलग्न है। इसके अतिरिक्त कार्यालय ग्राम पंचायत सामतीपुरा पंचायत समिति, जालोर द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है उक्त प्रमाण पत्र अनुसार हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होना बताया है एवं वादग्रस्त आराजी के नियमन हेतु सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने के संबध में दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिसका किसी प्रकार से कोई खंडन रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट आत्माराम ने वादग्रस्त आराजी को मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। अपीलांट ने उक्त कथन के संबध में अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, जिससे अपीलांट के उक्त कथन की पूर्णतया पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के परिपत्र सं.प./6/7/200/4–77 दिनांक 11.02.2008 के अनुसार दिनांक 01.01.2000 के पूर्व कब्जा होने पर नियमन का प्रावधान है। हालांकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया एवं कानूनन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना कानूनन उचित नहीं है। किन्तु अपीलांट एक भूतपूर्व सैनिक है एवं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सहानुभूति रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिको को भूमि आवंटन किये जाने की शर्तो को ध्यान

में रखते हुए वादग्रस्त आराजी का नियमन किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित समझते है एवं साथ ही अपीलांट पूर्व भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जिला कलक्टर जालोर वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की कार्यवाही करे।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। एवं सहायक कलक्टर जालोर द्वारा बमुकदमा संख्या 81/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2016 को अपास्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिको को भूमि आवंटन किये जाने के संबध में जारी परिपत्रो एवं प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए अगर अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में आता है तो विधि की पूर्ण पालना करते हुए उक्त आराजी अपीलांट को नियमानुसार नियमन किये जाने की कार्यवाही करे। तब तक अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली